(210)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 549–पीबीआर/1999 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–11–1998 पारित द्वारा अपर बंदोबस्त आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0 प्रकरण कमांक 90/अपील/1992–93.

हीरामणि तनय वासुदेव यादव
निवासी ग्राम आमों, तहसील देवसर जिला सीधी
------ अपीलार्थी

विरूद्ध

1. हरीशचन्द्र तनय श्री उदयभान यादव
निवासी ग्राम आमो, तहसील देवसर जिला सीधी म0प्र0
2. म0प्र0 शासन
-----प्रत्यर्थीगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री बी0एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक, प्रत्यर्थी कं 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक28/09/2017 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के आदेश दिनांक 19–11–1998 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी कमांक 1 ने बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम आमो तहसील दवसर आराजी नम्बर 125 रकवा 13.50 एकड़ जुज का वह भूमिस्वामी था इस नम्बर का कुल रकबा 100 एकड़ है। जिसमें अपीलार्थी भी 15 एकड़ का भूमिस्वामी है सर्वे कमांक 125 से हाल सर्वे नम्बर 515 रकवा 0.10, 527 रकबा 0.91, 69 रकवा 0.255 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 3 आराजी 5.56 हेक्टेयर का स्वत्व दिया

जाकर अभिलेख तैयार किया गया, जबकि वह सर्वे नम्बर 517 रकबा 0.94 में मकान तथा सर्वे नम्बर 513/1.11 में काबिज है व 514 व 516 में बाध बनाकर काबिज हैं। अतः मौका स्थल की जांच कर नक्शा में सुधार का आदेश जावे। बन्दोबस्त अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक को भेजकर स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत आदेश दिनांक 16–8–93 को नक्शा सुधार का आदेश पारित किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपर बंदोबस्त आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर बंदोबस्त आयुक्त ने आदेश दिनांक 19–11–98 के द्वारा अपील का निराकरण किया। अपर बंदोबस्त आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर बंदोबस्त आयुक्त ने इस प्रकरण से संबंधित अपर कलेक्टर बैढ़न के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण का अवलोकन भी किया है जिसमें नायब तहसीलदार देवसर से मौके की जांच कराई थी। इसके अतिरिक्त अपर बंदोबस्त आयुक्त ने राजस्व निरीक्षक की मौका पंचनामा प्रतिवेदन पर पूरी तरह से विचार करने के उपरांत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को विश्वसनीय नहीं माना है और इसी कारण उनके द्वारा बंदोबस्त अधिकारी के आदेश को उचित न मानते हुये प्रकरण के निर्देश के साथ निराकृत करने के आदेश दिये हैं। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अपर बंदोबस्त आयुक्त ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है, क्योंकि अपर बंदोबस्त आयुक्त ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर पारित बंदोबस्त आयुक्त के आदेश को सही नहीं माना है। अपर बंदोबस्त आयुक्त ने पूर्ण विवेचना कर प्रकरण में आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का निराकरण निर्देश के साथ किया जाकर भूमियों का अंकन किये जाने से मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार किये जाने के आदेश देकर

अभिलेखों में इन्द्राज करने के आदेश का आदेश दिया है। अपर बंदोबस्त आयुक्त के आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अस्वीकार की जाती है। अपर बंदोबस्त आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 19–11–1998 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर